कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांकः 236 /दो—11—13/2013 नर्मदापुरम, दिनांक 26.02.2026

श्री सुरेश कुमार चौरे, प्रस्तुतकार न्यायालय प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन इटारसी का दिनांक 12.01.2026 से 27.01.2026 तक कुल 16 दिवस का अर्जित अवकाश, मध्यप्रदेश अवकाश नियम 2025 के नियम 23 के नियम (2) के आलोक में, भविष्य की चेतावनी के साथ, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 284 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1006 /दो—11—13/2013 नर्मदापुरम, दिनांक 26.02.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन इटारसी की ओर श्री सुरेश कुमार चौरे, प्रस्तुतकार को सूचित कराने जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)